

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय, मध्यप्रदेश  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़-02 / 2025-26

दिनांक:-

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी  
मध्य प्रदेश

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.09.2025 से सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

- संदर्भ:- 1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/608 दिनांक 13.11.2025
2. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक Rule/478/2025-FINANCE, दिनांक 17.10.2025.

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.09.2025 से सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में आदेशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/Gwalior-ii/en> पर भी उपलब्ध है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / छत्तीसगढ़-02 / 2025-26 / 2452

दिनांक:- 2-12-25

प्रतिलिपि:-

व.ले.अधि./पी.ए./कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)  
छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त पत्रांक पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्र. पत्र/608  
दिनांक 13.11.2025 के संबंध में सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

SP- 337. 685. 063

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)  
छत्तीसगढ़, जीरो पॉइन्ट,  
बलौदा बाजार रोड, रायपुर - 492 005



क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 608  
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
CHHATTISGARH, ZERO POINT,  
BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR - 492 005

R-9258

कार्या. महालेखाकार (ले. एवं हक.) दिल्ली  
पंजीकृत डाक प्रो. को. हिताथ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

115706

दिनांक / Date : 13/11/25

प्रति,

21 NOV 2025

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली मध्य प्रदेश, ग्वालियर	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीविशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बेंगलूर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मॉरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेंयनामपेट, चेन्नई	600018

PA

Sh. Madhav  
24/11/25

DA

DA-80  
22/11/25

25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बोर्ड लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहारादून आंबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कन्ट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

**विषय:** छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.09.2025 से सातवें वेतनमान में 55% एवं छठवें वेतनमान में 252% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

**संदर्भ:** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE दिनांक 17.10.2025.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट [finance.cg.gov.in](http://finance.cg.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: RULE/478/2025-FINANCE दिनांक 30.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
FINANCE DEPARTMENT  
MANTRALAYA  
MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR**

No. RULE/478/2025-FINANCE

Nava Raipur Atal Nagar, Dated 17 .10.2025

To,

All Department of Government  
The President of Board of Revenue, Bilaspur  
All Heads of Department  
All Commissioners of Divisions  
All Collectors  
Chhattisgarh.

**Sub-Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners**

-----

The State Government had sanctioned 53% (in Seventh Pay Scale) and 246% (in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.03.2025 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 310/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 14.05.2025

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-September-2025	2% of Basic Pension/ Family Pension	55%
Sixth Pay Scale	01-September-2025	6% of Basic Pension/ Family Pension	252%




3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024 Encl.) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29<sup>th</sup> January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

  
(Dr. A.K. Singh) | 17/10/2025  
Additional Secretary